

:- आदेश :-

विगत वर्षों की भौति इस वर्ष भी मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों तथा रिवाल्वर/पिस्तौल/रायफल/एक नाली एवं दो नाली बन्दूक आदि के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति को वर्ष-2015 से 2017 तक के लिए नवीकरण हेतु सिर्फ वैसे अनुज्ञप्तिधारी जिनका स-समय नवीकरण हेतु आवेदन है को नवीकरण करने हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों को शस्त्र नियमावली 1962 के नियम 54 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकृत किया जाता है :-

क्र०	नवीकरण के लिए प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम	नवीकरण के लिए स्थान एवं दिन	शस्त्र का प्रकार	निर्धारित समय
01	02	03	04	05
1	अपर समाहर्ता, मधेपुरा	समाहरणालय, मधेपुरा बुधवार /शनिवार	रिवाल्वर /पिस्तौल	11:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक
2	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज	अनुमंडल मुख्यालय (अनुमंडल पदाधिकारी अपनी सुविधानुसार दिन निर्धारित करेंगे)	रायफल /एक नाली बन्दूक एवं दो नाली बन्दूक	तदैव

प्राधिकृत पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक-31.12.2014 तक विवरणी अंकित शस्त्र का नवीकरण एवं निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि व्यतीत होने के उपरान्त अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं करेंगे एवं नवीकृत किए गए अनुज्ञप्ति का समेकित प्रतिवेदन हर हाल में दिनांक 10-01-2015 तक निश्चित रूप से जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

वैसे अनुज्ञप्तिधारी जो निर्धारित समय 31-12-2014 तक अपनी शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण अगले वर्षों के लिए नहीं करा पाते हैं, तो उनके द्वारा समुचित कारण एवं वास्तविक साक्ष्य के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अधोहस्ताक्षरी के स्वीकृत्योपरान्त ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रभारी पदाधिकारी, शास्त्र शाखा, मधेपुरा/जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, मधेपुरा द्वारा किया जाएगा।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

(6/)
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 325 /श०, मधेपुरा, दिनांक 26-11-2014

- प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल दण्डाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज/ प्रभारी पदाधिकारी, शस्त्र शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : सभी थानाध्यक्ष, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- निदेश है कि राज्य के मुख्य-मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को मधेपुरा जिला के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(2)
26/11/14
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा